



एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट पूरा होने के अंतिम चरण में है) के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)

Ákt DV ds fooj.k

1- dkkykukbtj@Moyij	सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
	लाइसेंस नं./वर्ष : 25/2016 एवं 29.11.2016. भवन योजना की स्वीकृति 7.6.2017 माध्यम/मेमो नं. ZP-1012/SD(BS)/2017/12388 दिनांक 7/6/17.   हरियाणा रेरा प्रमाणित न.: 4 of 2017 दिनांक 20-06-2017
3- LFkku	सेक्टर १०७७, गुरुग्राम
4- Ákt DV ds (kskQy 1 azákh Ákokku 5- vi WZAV ds fooi N. vkoV	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 3 एकड़ में कुल 448 अपार्टमेंट में से 45 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार 5% फ्लैट मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और 95% अपार्टमेंट सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ : 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी—सह–क्रेश।

· vikv**es**v olstooj. Kj vkosvu nj vk**y ha**xrku olstu; e

अपार्टमेंट के विवरण						
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	एरिया (वर्गफुट)	बाल्कनी एरिया लगभग (वर्गफुट)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिलाकर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
2BHK - T2	31	577.946	82.57	23,53,069	1,17,653.46	4,70,613.85
2BHK - T3	12	553.856	81.084	22,55,966	112798.41	4,51,193.63
2BHK - T4	1	553.383	81.084	22,54,074	112703.68	4,50,814.74
2BHK - T7	1	514.396	50.999	20,83,083	104154.19	4,16,616.75

(ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई ब्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी चुक के लिए हर्जाना ब्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेंट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान हैं।

6- i křídx	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7- vikV&W ds ckjseal keklt fooj.k	Û प्रलोरिंग : विट्रिफाइड टाइल्स फ्लोरिंग, किचन में सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में सिरामिक टाइल्स क्लास−11, कॉमन एरिया : टेराकोटा टाइल्स / पेवर्स / स्टोन • खिड़िकयों के फ्रेम : IS कोड के अनुसार Z सेक्शन फ्रेम • दरवाज़ों के फ्रेम : पलैट इनामेल पेंट किए गए प्रलश डोर • वॉल टाइल्स : बाथरूम में 5 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स, किचन में काउंटर के ऊपर 2 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स, किचन में काउंटर के ऊपर 2 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स • किचन काउंटर टॉप : ग्रेनाइट • वॉल फिनिश : सीलिंग कलर वॉश वॉल / पेंटिंग OBD के साथ • प्लिबंग फिटिंग : PPR या समतुल्य पाइप • सैनिटरी फिटिंग : स्टैंडर्ड डिज़ाइन में ISI मार्का चाइनावेयर और CP • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्का • स्ट्रक्चर : RCC फ्रेम स्ट्रक्चर जो नवीनतम IS कोर्ड और NBC के सुझावों के अनुसार सीज़्मिक बलों को ध्यान में स्खकर डिज़ाइन किया गया है।
8-vkosnu dh le; lhek, j	i) आवेदन पत्र दिनांक 20.8.2018 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड : ग्राउंड फ्लोर, टावर A, सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी 1, गुरुग्राम, हिरयाणा—0124—4908200 से प्राप्त और इसी पते पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7063—121—121 पर। ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 3.09.2018. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची www.signatureglobal.in पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा www.signatureglobal.in पर भी उपलब्ध है।

## 9-; kX; rk %

1. आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो।

2. आवेदन कोई भी कर सकता है हालाँकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लामार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लामार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी / सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट/प्लॉट नहीं हो।

## vko Vu dsekud %

- 1. अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्युनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे।
- 2. लॉट्री की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्टी की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएँगे।
- मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक जॉच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवंदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसचना सं. PF-27/48921 में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध हैं)।









12 yk[k #i;sdsvkokl \_.kij pmay ¼k/kkueæh vkokl;ktuk½dsrgr yxHx 2-67 yk[k #i;sC,kt lcfl Mh dk ykHx mBk,†





















